समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

निग –1155–I–16

आवेदक – श्री रामलाल गौड़, उम्र 50 वर्ष, आत्मज श्री धनीराम गौड़ (जाति गौड़) आदिवासी निवासी– ग्राम गुनहरी, तहसील घंसौर व जिला सिवनी (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदक – म.प्र. शासन

द्वारा – कलेक्टर, जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्र.क्र.318/अ–21/2012–13

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1155-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-4-16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 318/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 12-2-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी कलेक्टर के आदेश दिनांक 12-2-14 के विरूद्ध पेश की गई जो विलंब से प्रस्तुत है । निगरानी मेमो के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में विलंब के संबंध में यह आधार लिया गया है कि आवेदक कम पढ़ा लिखा आदिवासी व्यक्ति है जिसे कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन के अंतिम के संबंध में जानकारी प्राप्त न होने पर वह निरंतर इस असमंजस्य में रहा कि उसका प्रकरण अभी विचाराधीन है । जब वह मार्च-2016 में कलेक्टर कार्यालय में जानकारी लेने गया तब ज्ञात हुआ कि उसका आवेदन निरस्त किया जा चुका है तब उन्होंने दिनांक 17-3-2016 को आवेदन पेश कर लोक सूचना अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के प्रकरण की नकलें प्राप्त की गई तब उसे प्रकरण निरस्त किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई । आवेदक द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि राजस्व मंडल, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि तकनीकि आधार पर मामला खारिज नहीं किया जाना चाहिए - उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए । आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में दिए गए तर्कों के समर्थन	

R1155-11/16 (सिवनी)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

में अपना शपथपत्र भी पेश किया गया है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा बताए गए विलंब के आधार सद्भाविक मान्य करने हेतु विलंब क्षमा किए जाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है । अतः विलंब क्षमा किया जाता है ।

3/ जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें उसके द्वारा मौजा टीगन नं0 बं0 192, प0ह0न0 40 रा0नि0मं0 बरगी स्थित भूमि खसरा नंबर 43/1, 399, 419/1, 431/1, 463/1 465/1, 510/1 एवं खसरा नं. 504 रकबा क्रमशः 1.00, 0.710, 0.30, 0.270, 0.270, 0.620, 0.580, 1.400 एवं 1.880 हैक्टर कुल रकबा 7.06 हैक्टर को गैर आदिवासी सतपुड़ा इन्फोकॉम प्रा. लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी पिता स्व0. राममिलन त्रिपाठी निवासी गढ़ा जैन मंदिर के पीछे तहसील व जिला जबलपुर को को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । कलेक्टर द्वारा इस आधार पर आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है कि उसके पास संहिता की धारा 165 के प्रावधानों में उल्लखित अनुसार भूमि शेष नहीं बच रही है । इस संबंध में आवेदक की ओर से यह कहा गया है कि कलेक्टर का भूमि शेष नहीं बचने संबंधी निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि आवेदक के पास ग्राम गुनहरी में 4.23 हैक्टर भूमि शेष बचती है । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन अति0 तहसीलदार, को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से अति0 तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1155-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । अति0 तहसीलदार ने जो प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया है उसमें यह उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई है । अति0 तहसीलदार ने यद्यपि अपने प्रतिवेदन में आवेदक के पास अन्य कोई भूमि शेष न बचने की बात कही गई है और उसी आधार पर कलेक्टर ने आदेश पारित किया है जबकि जो राजस्व अभिलेख आवेदक की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं उनके अनुसार आवेदक के पास ग्राम गुनहरी में 4.23 हेक्टर भूमि शेष बचती है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक प्रतीत नहीं होता है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने निगरानी आवेदन एवं तर्कों में यह निवेदन किया गया है कि प्रस्तावित क्रेता अब भूमि क्रय करने के इच्छुक नहीं है और अनुबंध के समय दी गई राशि की वापिस किये जाने की मांग कर रहे हैं और चूंकि अन्य व्यक्ति श्रीमती माया त्रिपाठी पत्नि श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी निवासी 516, गढ़ा जबलपुर प्रश्नाधीन भूमियां क्रय करने को इच्छुक हैं तथा वर्तमान गाईड लाईन मूल्य देने को तैयार हैं । ऐसी स्थिति में उन्हें श्रीमती माया त्रिपाठी को भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये । विचारोपरांत उनका अनुरोध न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है । आवेदक का यह तर्क उचित प्रतीत होता है कि चूंकि आवेदक सिवनी जिले में निवास करता है और आवेदित भूमियां जबलपुर जिले में स्थित है जो निवास स्थान से काफी दूर निवास करता है जिससे कृषि करने में कठिनाई आती है । चूंकि प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि आवेदक के पास ग्राम गुनहरी में	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4.23 हैक्टर भूमि शेष बचती है और विक्रय की अनुमति देने से उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की मौजा टीगन नं0 बं0 251, प0ह0न0 40 रा0नि0मं0 बरगी स्थित भूमि खसरा नंबर 43/1, 399, 419/1, 431/1, 463/1 465/1, 510/1 एवं खसरा नं. 504 रकबा क्रमशः 1.00, 0.710, 0.30, 0.270, 0.270, 0.620, 0.580, 1.400 एवं 1.880 हैक्टर कुल रकबा 7.06 हैक्टर को श्रीमती माया त्रिपाठी पत्नि श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी निवासी 516, गढ़ा जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित केता चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	